

**नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण
प्रतिवेदन**

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल०ए०)-खण्ड-iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत तलाई के लेखों का अंकेक्षण निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक नगर पंचायत तलाई में निम्नलिखित बतौर अध्यक्ष एवं सचिवके पद पर कार्यरत रहें :-

(i) अध्यक्ष:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति वन्दना कुमारी	01.04.2021 से लगातार

(ii) सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री पंकज कुमार	01-04-2021 से 04-05-2022
2	श्री सुशील कुमार	24-05-2022 से 10-10-2022
3	श्री खेम चंद वर्मा	14.10.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर पंचायत तलाई के अवधि 04/21 से 03 /23 के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	पैरा सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (रुलाखों में)
1	6 (ख)	अनुदानों के उपयोग हेतु शेष बची राशि	200.45
2	10.1, 10.3व 10.7	गृहकर, दुकान किरायेव मोबाइल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की बकाया वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करना	26.24

3	10.8	घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में कम वसूली करना	3.93
4	10.16	मंदिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी शाहतलाई मे वर्ष 2023 में होने वाले चैत्र मेला में सफाई व्यवस्था पर नगर पंचायत द्वारा किये गये व्यय की न्यास से 80 प्रतिशत राशि की वसूली न करनेबारे	12.84
5	12	सीवरेज कार्य को निक्षेप आधार पर निष्पादित करवाने के लिए जारी अग्रिम राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे	100.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (**परिशिष्ट-क**) पर दिया गया है। प्रायः देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यंत चिंताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्यवाही सुनिश्चित करें तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत तलाई के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री संजीव कुमार सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 17-08-2023 से 04-10-2023 तक नगर पंचायत तलाई के कार्यालय में निष्पादित किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट हैं। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2022 व 03/2023 तथा व्यय के लिए माह 03/2022 व 03/2023 का चयन किया गया।

अस्वीकरण:-यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत तलाई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई

किसी भी प्रकार की गलत / अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹38000/- आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अध्याचना संख्या 188/23 दिनांक 04.10.2023 द्वारा वर्तमान सचिव नगर पंचायत से अनुरोध किया गया व उनके द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 033575 दिनांक 05.10.2023 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय विवरणियां :-

नगर परिषद / नगर पंचायत अधिनियम, 1994 के अंतर्गत तथा नगर परिषद / नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद / नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियां अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 76/2023 दिनांक 06.06.2023 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि अवधि 01.04.21 से 31.03.23 हेतु निम्नलिखित वित्तीय विवरणियों को तैयार कर लिया गया है। प्रस्तुत वित्तीय विवरणियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत की दिनांक 31.03.23 को सावधि जमा में निवेशित राशि तथा हस्तगत राशि में अन्तर पाया गया है तथा अंकेक्षण में अवलोकनार्थ इनसे सम्बन्धित अनुसूचियां (Schedules) प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अन्तर के कारणों वारे कार्यवाही शीघ्र करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए। (परिशिष्ट-ध)

- (i) Balance sheet
- (ii) Income & expenditure statement
- (iii) Statement of cash flow
- (iv) Receipt & payment account

5. वित्तीयस्थिति :-

(क) सचिव, नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 76/2023 दिनांक 06.06.2023 के संदर्भ में (परिशिष्ट - ख) पर प्रस्तुत सूचना अनुसार स्व:- स्त्रोत तथा अनुदाननिधियों की लेखा अवधि 1-04-2021 से 31-03-2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष

2021-22

	आरम्भिक शेष	आय	व्यय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्व:स्त्रोत	12140921	2778568	1859971	16779460	2608428	14171032
अनुदान	31875849	17054352	0	48930201	15728938	33201263
योग	44016770	19832920	1859971	65709661	18337366	47372295

2-23

	आरम्भिक शेष	आय	व्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्व: स्त्रोत	14171032	3894463	1659038	19724533	3257030	16467503
अनुदान	33201263	17790376	0	50991639	30946223	20045416
योग	47372295	21684839	1659038	70716172	34203253	36512919

5. (ख) बैंक समाधान विवरणी:-

सचिव, नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 76/2023 दिनांक 06.06.2023 के संदर्भ में (परिशिष्ट - ग) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2021 की बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार थी :-

क्र०सं०	विवरण	राशि
1	दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष	3,65,12,919.00

2	(+) जमा :- चैक संख्या 490776 दिनांक 31.03.2023 जोकि दिनांक 05.04.2023 को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया ।	41,256.00	
3	(+) जमा :- चैक संख्या 836810 दिनांक 01.02.2023 ₹568570 जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 46 दिनांक 01.02.2023 को ₹568975.00 किया गया अधिक इन्द्राज बारे संशोधन रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 72 दिनांक 01.05.2023 को किया गया।	405.00	
4	(+) जमा :- चैक संख्या 836813 दिनांक 01.03.2023 ₹568570 जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 53 दिनांक 01.03.2023 को ₹568975.00 किया गया अधिक इन्द्राज बारे संशोधन रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 72 दिनांक 01.05.2023 को किया गया।	405.00	
5	(-) घटाव :- चैक संख्या 119745 दिनांक 30.03.2023 द्वारा प्राप्त आय जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 64 दिनांक 30.03.2023 को किया गया परंतु राशि बैंक खाता संख्या 11710111300 में दिनांक 10.04.2023 को क्रेडिट हुई ।	9,283.00	
6	(-) घटाव:- स्व: स्त्रोत खाता संख्या 11710104001 में से दिनांक 01.10.2022 को RTGS द्वारा पेंशन धारकों को किया गया भुगतान जिसे रोकड़ बही में	2,03,874.00	

	दर्ज नहीं किया गया था तथा जिसे दिनांक 01.05.2023 को उक्त खाते में पुनः क्रेडिट किया गया।		
7	उपरोक्त क्रमांक 2 से 6 पर जमा एवं घटाव की समायोजन प्रविष्टियों का कुल योग।		(-)1,71,091.00
8	उपरोक्त समायोजन के पश्चात रोकड़ बही का संशोधन अंतशेष		3,63,41,828.00
9	आगामी उप-अनुच्छेद 5 (ग) में दिये विवरणानुसार दिनांक 31.03.2023 को बैंक सावधि निवेश, बैंक बचत खातों तथा हस्तगत शेष का कुल योग।		3,63,41,828.00
10	दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही के अन्तशेष व उपलब्ध पूंजी के अन्तशेष में अन्तर		शून्य

(ग) दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध पूंजी का विवरण (परिशिष्ट - घ) :-

क्र०	बैंक	खाता संख्या	राशि (₹)
1	हि. प्र. रा. सह. बैंक. तलाई	11710104001	22,38,208
2	हि. प्र. रा. सह. बैंक. तलाई	11710104023	1,92,504
3	हि. प्र. रा. सह. बैंक. तलाई	11710104003	1,81,613
4	भारतीय स्टेट बैंक तलाई	11513219768	14,46,529
5	भारतीय स्टेट बैंक तलाई	11513219791	4,32,143
6	हि. प्र. ग्रामीण बैंक तलाई	88850100007023	21,037
7	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111251	28,60,582
8	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111252	11,32,544
9	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111253	00
10	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11720100129	00

11	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111300	16,41,520
12	कैनरा बैंक शाह तलाई	5066101001193	4,703
13	एच डी एफ सी बैंक बड़सर	50100227522512	1,88,223
14	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710112162	8,22,716
15	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710112163	37,89,410
16	आगामी पैरा 7 में दिए विवरणानुसार बैंक सावधि जमा में निवेशित राशियों का दिनांक 31.03.2023 का अंतशेष		2,13,66,092
17	दिनांक 31.03.2023 को हस्तगत रोकड़ शेष राशि		24,004
18	दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध पूंजी का शेष		3,63,41,828

5.1 पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति:-

- (क) सचिव, नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 76/2023 दिनांक 06.06.2023 के संदर्भ में **(परिशिष्ट - ड.)** पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार पेंशननिधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	748061	761178	33558	1542797	1071384	471413
2022-23	471413	790792	3450	1265655	1205636	60019
योग	1219474	1551970	37008	2808452	2277020	531432

(ख) दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही के अनुसार

अन्तशेष ₹60019/-

क्र०स०	विवरण		राशि(₹)
1	दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष		60,019
2	(+) जमा:- स्व:स्त्रोत खाता संख्या 11710104001 से दिनांक 01.10.2022 को RTGS द्वारा पेंशनधारकों को किया गया भुगतान जिसे पेंशन खाता संख्या 11710104024 दिनांक 01.05.2023 को स्व: स्त्रोत खाता संख्या 11710104001 से हस्तांतरित किया गया।	2,03,874	2,03,874
3	उपरोक्त जमा/घटाव की समायोजन उपरांत प्रविष्टियों का कुल योग		2,63,893
4	आगामी उप-अनुच्छेद 5.1(ग) व (घ) में दिए गये विवरणानुसार दिनांक 31.03.2023 को बैंक सावधि निवेश, बैंक बचत खाते तथा हस्तगत शेष का कुल योग		2,63,893
	अंत शेष में अंतर		शून्य

(ग) दिनांक 31.03.2023 को अन्तिम शेष राशि का विवरण :-

क्र.स.	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	दिनांक 31-03-2023 को शेष राशि
1	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710104024	2,63,893
योग (क)			2,63,893

(घ) दिनांक 31.03.2023 को सावधि जमा योजना व हस्तगत राशिका विवरण :-

क्र.स.	विवरण	राशि
1	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि (ख)	शून्य

2	हस्तगत राशि (ग)	शून्य
---	-----------------	-------

दिनांक 31.3.2023 को अन्तिम शेष का कुल योग (क +ख +ग) = ₹2,63,893+0+0= **₹2,63,893**

(ड.) ग्रेच्यूटी निधि की वित्तीय स्थिति:-

सचिव, नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 76/2023 दिनांक 06.06.2023 के संदर्भ में (परिशिष्ट - च) पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ग्रेच्यूटी निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	1247352	112458	59832	1419642	0	1419642
2022-23	1419642	308654	79428	1807724	622819	1184905
योग	2666994	421112	139260	3227366	622819	2604547

दिनांक 31.03.2023 को अन्तिम शेष राशि का विवरण :-

क्र.स.	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	दिनांक 31-03-2023 को शेष राशि
1	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710104025	202877
2	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	11730302786	982028
3	हस्तगत राशि		शून्य
कुल योग			1184905

कुल अन्तर = शून्य

5.2 दोहरी लेखा पद्धति(Double Entry System on Accural Basis) को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt.25.03.2009,UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 Dt.07.09.2009 तथा पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV-5215-63 Dt.19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए, किन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

नगर पंचायत तलाईचौक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति के आधार पर बनाया जाना तुरन्त सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 154 /23 दिनांक 11.09.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प .त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा सूचित किया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक तथा वर्तमान में दोहरी लेखा पद्धति को लागू नहीं किया गया है जिसे भविष्य में लागू करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

6 अनुदान:-

(क) वित्तीय स्थिति नगर पंचायत तलाई की अंकेक्षणाधीन अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण (परिशिष्ट - छ) में भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	ब्याज	कुलयोग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अन्तिम शेष
2021-22	31875849	17054352	0	48930201	15728938	33201263
2022-23	33201263	17790376	0	50991639	30946223	20045416
योग	65077112	34844728	0	99921840	46675161	53246679

(ख) अनुदानों की ₹200.45लाख उपयोग हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट- ज) पर प्रस्तुत विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-03-2023 को ₹20045416/- उपयोग हेतु शेष थे, जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती हैं। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न

किये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के प्राप्त निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदानरजिस्टरका रख-रखाव न करना :-

नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23के दौरान विभिन्न विभागों / संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व प्राप्त अनुदानों से किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23का अनुदान रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) ₹316.47लाख के अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट – झ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 को क्रमशः ₹15728938 व ₹30946223 कुल ₹46675161/-का व्यय किया गया दर्शाया गया जिन में से केवल ₹15027466/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किए गए थे शेष व्यय राशि ₹31647695/- उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेकिन अनुदान राशियों को जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय किया गया था, की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया है व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाउचर संख्या इत्यादि से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाना व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

7. निवेश :-

सचिव, नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 76/2023 दिनांक 06.06.2023 के संदर्भ में (परिशिष्ट – ज) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को बैंक सावधि जमा में निवेशित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०	निधि	बैंक	खाता संख्या	निवेशित	निवेशित	ब्याज	परिपक्व
------	------	------	-------------	---------	---------	-------	---------

	का नाम			राशि (₹)	तिथि	दर (%)	तिथि
1	स्वःस्त्रोत व अनुदान	भारतीय स्टेट बैंक तलाई	41776042806	89,80,000	23.03.2023	7.4	23.03.2025
2	स्वः स्त्रोत व अनुदान	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11730303700	1,23,86,092	13.09.2022	5.5	13.09.2023
3	ग्रैच्यूटी	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11730302786	9,82,028	19.09.2022	5.5	19.09.2023
दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध अन्तशेष				2,23,48,120			

अतः सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाना या पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि को सावधि जमा में निवेश करने की अपेक्षा बचत खातों में जमा रखने के कारण प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज आय की हानि :-

नगर पंचायत की दिनांक 31.03.2023 की प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ₹1,49,51,732/- की एक बड़ी राशि बचत खातों में ही जमा रखी गई थी, जिस में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो इस राशि पर निश्चित रूप से नगर पंचायत की दिन - प्रतिदिन की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था, हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 56 "Power to deposit and invest surplus funds" के अनुसार भी उक्त बारे वर्णन/ निर्देश दिए गये हैं परन्तु पंचायत द्वारा बढ़ी रकम केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है जोकि समुचित कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 167/23 दिनांक 14.09.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प .त/अंकेक्षण/2023-

1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा सूचित किया गया कि सरकार के निर्देशानुसार धन राशि को सावधि जमा योजना में जमा नहीं करवाया जा सकता क्योंकि सरकार से जो भी राशि प्राप्त हो रही है वह P.F.M.S. के अन्तर्गत प्राप्त हो रही है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर पंचायत को केवल दो योजनाओं के अन्तर्गत ही राशि P.F.M.S के अन्तर्गत ही प्राप्त हो रही है। अतः शेष योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि हेतु कार्यवाही की जा सकती थी, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

8 बजट :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01.04.21 से 31.03.23 दौरान का स्वीकृत बजट एवं इसके विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2021-22	46551000	18337366	28213634
2022-23	49171000	34203253	14967747

उपरोक्त विवरणी से स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा दोनों वित्तीय वर्षों में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय न करते हुए व्यय सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया गया है।

9 नगर पंचायत के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण:-

नगर पंचायत तलाई के गत तीन वर्षों के कुल आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आय (स्वःस्त्रोत + अनुदान + ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2020-21	21962040	16875930
2021-22	21692891	18337366
2022-23	23343877	34203253

10 आय :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A)1-87-9237-9294 दिनांक 20.06.2001 नगरपंचायत तलाई की विभिन्न प्राप्त आय के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन्हें निम्न विवरण अनुसार वर्णित किया गया है :-

10.1 गृहकर की बकाया ₹25.00 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (**परिशिष्ट-ट**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक गृहकर के रूप में ₹24,99,463/-की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स नगरपालिका शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत्त रहती है, तो सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर पंचायत को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बाद वज्रूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उपरोक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या 155/23 दिनांक 11.09.2023 के अन्तर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि दिनांक 31.03.2023 तक गृहकर के रूप में बकाया राशि ₹24,99,463/- की वसूली हेतु भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा वसूली हेतु भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	छूट	अन्तशेष
2021-22	2901197	507559	3408756	759250	30206	2619300
2022-23	2619300	478819	3098119	568416	30240	2499463

10.2 गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में ₹0.35 लाख बकाया कम दर्शाया जाना :-

अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के गृहकर मांग व संग्रहरजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में गृहकर राशि वर्ष 2020-21 का अन्तशेष वर्ष 2021-22 में तथा 2021-22 का वर्ष 2022-23 में कम अथवा शून्य लिया गया था जिसके कारण नगर पंचायत को निम्न विवरणानुसार वर्ष 2021-22 में ₹16911/- तथा वर्ष 2022-23 ₹17710/- कुल ₹34621/- की राजस्व हानि हुई, जिस बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 177/23 दिनांक 21.09.2023 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निम्न गृहकर दाताओं के खातों में गृहकर की कम इन्द्राज राशि का सही इन्द्राज करके/आवश्यक संशोधन करके वर्ष 2021-22 हेतु सर्व श्री जति राम, मल्लो राम, क्रिशन चन्द, बी. एन. भारद्वाज, हंस राज व गुरबख्श सिंह के गृहकर खाता संख्या 72,85,86,88,88 व 80 तथा वर्ष 2022-23 हेतु सर्व श्री जगदीश, गुरबख्श सिंह, मल्लो राम, बिशन सिंह, क्रिशन सिंह, शेर सिंह, श्याम सिंह व कश्मीरी के गृहकर खाता संख्या 23,25,35,35,37,41,41 व 53 पर किया गया, जिसका सत्यापन अंकेक्षण दौरान कर लिया गया। अतः इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि वर्ष के आरम्भिक शेषों का इन्द्राज गृहकर दाताओं के खातों में सावधानी पूर्वक किया जाए जिससे कि निम्न वर्णित गलती से बचा जा सके।

(क) वर्ष 2020-21 के अन्तशेष जो वर्ष 2021-22 में कम दर्ज किए गए।

क्र० स०	वार्ड संख्या	गृहकर दाता का नाम	31.03.2021 की वास्तविक बकाया राशि (₹)	01.04.2021 को दर्शाया गया आरम्भिक शेष (₹)	अन्तर (₹)
1	3	श्री जति राम	1620	810	810
2	4	श्री मल्लो राम	1192	136	1056
3	5	श्री क्रिशन चन्द	4723	4673	50
4	6	श्री बी. एन. भारद्वाज	945	0	945

5	6	श्री हंस राज	4050	0	4050
6	4	श्री गुरबख्श सिंह	25777	15777	10000
कुल योग			38307	21396	16911

(ख) वर्ष 2021-22 के

अन्तशेष जो 2022-23 में कम दर्ज किए गए :-

क्र० स०	वार्ड संख्या	गृहकर दाता का नाम	31.03.2022 की वास्तविक बकाया राशि (₹)	01.04.2022 को दर्शाया गया आरम्भिक शेष (₹)	अन्तर (₹)
1	4	श्री जगदीश	2025	2000	25
2	4	श्री गुरबख्श सिंह	27802	17802	10000
3	5	श्री मल्लो राम	1260	204	1056
4	5	श्री बिशन सिंह	3897	627	3270
5	5	श्री क्रिशन सिंह	5162	5112	50
6	6	श्री शेर सिंह	23770	22770	1000
7	6	श्री श्याम सिंह	2052	513	1539
8	6	श्री कश्मीरी	26012	25242	770
कुल योग			91980	74270	17710

10.3 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.41 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट-ठ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹40555/- की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स नगरपालिका शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर पंचायत को भुगतान

नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या 157/2023 दिनांक 11.09.23 के अन्तर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि दिनांक 31.03.2023 तक दुकानों के किराए के रूप में बकाया राशि ₹40,555/- सम्बन्धित दुकानदारों से वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः वसूली उपरान्तपुष्टि हेतु आगामी अंकेक्षण पर सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः दुकानों के किरायेकी वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अन्तशेष
2021-22	41467	35904	77371	11200	66171
2022-23	66171	35904	102075	61520	40555
कुल योग	107638	71808	179446	72720	106726

10.4 दुकान को किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण नगर पंचायत को ₹0.11 लाख की वित्तीय हानि होने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकान किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण किराया आय के रूप में ₹10800/- की वित्तीय हानि हुई है, जिस बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 158/23 दिनांक 11.09.2023 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त दुकान ग्राम पंचायत नध्दार की परिधि में है व क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्राम पंचायत नध्दार द्वारा विरोध के कारण दुकान की मुरम्मत नहीं हो पा रही है तथा असुरक्षित दुकान को किराये पर दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि दुकान के मालिकाना हक बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यदि उक्त दुकान नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जैसा कि पूर्व में नगर पंचायत को उक्त दुकान से किराया हेतु आय प्राप्त हो रही थी, को आवश्यक

मुरम्मत करवाकर किराये पर आबंटित किया जाए जिससे नगर पंचायत को आय प्राप्त हो सके तथा वित्तीय हानि से बचा जा सके।

क्रम संख्या	दुकान संख्या/स्थान	पुराना मासिक किराया	जिस अवधि के लिए दुकानें खाली रही	जितने माह दुकानें खाली रही	किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि
1)	5 (Shop at Maruga)	450/-	01.04.2021 से 31.03.2023	24	10800/-
योग					10800/-

10.5 दुकानों के किराये के नियमानुसार दुकानदारों के साथ अनुबंध को तैयार व नवीनीकरण न करने बारे :-

नगर पंचायत तलाई द्वारा दुकानों से सम्बन्धित प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि दुकानदारों के साथ नगर पंचायत द्वारा निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H (A) (3)-6/88 दिनांक 20.02.2002 अनुसार जारी की गई अधिसूचना संख्या LSG-F(6)-1/85-IV दिनांक 21.12.2001 की अनुपालना में जारी दिशा -निर्देशों अनुसार नगर पंचायत द्वारा दुका नोंके अनुबंध तैयार नहीं किये गये थे । अतः उपरोक्त पत्रानुसार जारी निर्देशों की अनुपालना में दुकानों का किराया अनुबंध व नवीनीकरण न करना तथा किराये में बढ़ोतरी न किये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सभी दुकानों का अनुबंध नियमानुसार तैयार न करने तथा किराये में वृद्धि न करने बारे मामला सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 171/23 दिनांक 18.09.2023 द्वारा लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित दुकाने ग्राम पंचायत नध्दार की परिधि में है व क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत नध्दार द्वारा विरोध के कारण इन दुकानों की मुरम्मत नहीं हो पा रही है तथा दुकानें नध्दार पंचायत क्षेत्र में होने के कारण असुरक्षित दुकानों के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि ग्राम पंचायत इन दुकानों पर अपना अधिकार जता रही है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अगर दुकानें नगर पंचायत की नहीं है तो उनसे किराये की वसूली नगर पंचायत द्वारा कैसे की जा रही है ? इस सन्दर्भ में नगर पंचायत को परामर्श दिया

जाता है कि उक्त दुकानों बारे मालिकाना हक की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अनुबंध बारे आगामी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम (जिसे दुकान आबंटित की गई)	दुकान आबंटन का वर्ष
1)	1	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड।	2001
2)	2	एच. पी. एम. सी.	2007
3)	3	श्री बीरवल सिंह	2005

10.6 ₹5391/- किराये की मांग व वसूली न करने बारे :-

नगर पंचायत के दुकानकिराया रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि क्रम संख्या चार पर श्री सलीम मुहम्मद को आबंटित की गई दुकान का किराया अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 हेतु न तो प्राप्त किया गया था तथा न ही किराये बारे किराया रजिस्टर में उक्त अवधि हेतु मांग दर्ज की गई, जबकि दिनांक 31.03.2021 को उक्त दुकान का किराया राशि ₹5391/- वसूली हेतु शेष था। अतः अंकेक्षण अवधि दौरान किराये की मांग एवं वसूली न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165/23 दिनांक 14.09. 2023 द्वारा वस्तु स्थिति बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि ₹5391/- की वसूली बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में ला कर आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

10.7 मोबाईल टावरों की शेष राशि ₹0.84 लाख की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 76/23 दिनांक 06.06.2023 के संदर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न मोबाईल कंपनियों द्वारा स्थापित मोबाईल टावरों की हिमाचल प्रदेश सरकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्या (DIT)-DEB (IT)2005 (MISC-96) दिनांक 21.06.2017 द्वारा वसूली हेतु शेष राशि यथा (परिशिष्ट-ड) पर संलग्न ₹84,375/- जोकि स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क से सम्बन्धित थी, को दिनांक 31.03.2023 तक वसूल नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 166/23 दिनांक 14.09.23 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि मोबाईल टावरों की शेष राशि ₹84375/- की वसूली बारे विभिन्न मोबाईल टावर कम्पनियों से पत्राचार किया जा रहा है।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1)	वोडाफोन एस. आर.	50000
2)	एयरटेल	34375
कुल योग		₹84,375

10.8 घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में राशि ₹3.93 लाख की कम वसूली बारे:-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01.04. 2021 से 31.03.2023 के दौरान नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थापित घर , दुकानें, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक, होटल व ढाबे कूड़ा संग्रहण के रूप में निम्न विवरणानुसार नगर पंचायत तलाई द्वारा घर घर कूड़ा संग्रह हेतु अधिसूचना संख्या NPT-14.11.2018 दिनांक 15.11.2018 द्वारा अधिसूचित की गई दरों अनुसार वसूली योग्य राशि जो निम्न **विवरणानुसार ₹8,23,200/-** बनती थी, जिनमें से नगर पंचायत द्वारा केवल **₹4,29,990/-** की वसूली ही की गई थी जबकि वसूली हेतु **₹3,93,210/-** की राशि शेष है , जिसकी वसूली बारे नगर पंचायत द्वारा कोई भी पग नहीं उठाये गए हैं, परिणाम स्वरूप नगर पंचायत को एक बड़ी राशि के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पड़ रहा है । अतः इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 164/ 2023 दिनांक 14.09.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पंचायत तलाई के ग्रामीण वार्डों के लगभग 60% निवासी अपने कचरे का निपटान स्वयं ही अपने स्तर पर अपनी कृषि भूमि पर करते हैं तथा उनसे कूड़े का संग्रहण नहीं किया जाता तथा न ही उनसे कूड़ा संग्रहण का शुल्क लिया जा सकता है । उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले समस्त रिहायशी, व्यवसायिक संस्थानों इत्यादि से कूड़ा संग्रहण की दरें उपरोक्त वर्णित अधिसूचना अनुसार निर्धारित है तथा उक्त दरों अनुसार वसूली की जानी वांछित है । अतः निम्न विवरणानुसार **₹3,93,210/-** की वसूली करके नगर पंचायत लेखे में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(A) Houses :-								
क्र० स०	विवरण	वार्ड न०	संख्या	अधिसूचना अनुसार निर्धारित दरें (मासिक)	मासों की संख्या 01-04-2021 से 31-03-2023	वसूली योग्य राशि (01-04-2021 से (31-03-2023)	वसूली की गई राशि	कम वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
	Houses	1	61	30	24	43,920	5,130	38,790
	Houses	2	52	30	24	37,440	11,970	25,470
	Houses	3	58	30	24	41,760	11,400	30,360
	Houses	4	121	30	24	87,120	26,790	60,330
	Houses	5	73	30	24	52,560	18,240	34,320
	Houses	6	54	30	24	38,880	16,530	22,350
	Houses	7	65	30	24	46,800	8,550	38,250
	Total	-	484	-	-	3,48,480	98,610	2,49,870

(B) Shops / Hotel & Restaurant /Guest House / Sarai :-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
	Shops	6	37	60	24	53,280	2,11,680	2,54,880
	Shops	4	100	60	24	1,44,000		
	Shops	3	8	60	24	11,520		
	Shops	7	2	60	24	2,880		
	Hotels and Restaurant	4	5	100	24	12,000	36,000	28,500
	Hotels and Restaurant	6	4	100	24	9,600		
	Hotels and	7	1	100	24	2,400		
								- 43,200
								7,500

	Restaurant							
	Guest House	-	5	100	24	12,000		
	Sarai	-	16	500	24	1,92,000	48,000	1,44,000
	Total	-	-	-	-	4,39,680	3,31,380	1,08,300

(C) Offices :-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
	Baba Balak Nath Ji TempleTrust	4	1	100	24	2,400	Nil	2,400
	CHC, Talai	4	1	150	24	3,600	Nil	3,600
	Govt. Primary School	4	1	100	24	2,400	Nil	2,400
	Govt. Sr. Sec. School	4	1	100	24	2,400	Nil	2,400
	Govt Primary School, Gehara	1	1	100	24	2,400	Nil	2,400
	Shishu Model Sr. Sec. Sechool	4	1	100	24	2,400	Nil	2,400
	Canara Bank	4	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	HP Gramin Bank	6	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	HP State	4	1	60	24	1,440	Nil	1,440

	Cooperative Bank							
	State Bank of India	4	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	Ayurvedic Hospital	4	1	150	24	3,600	Nil	3,600
	HP State Electricity Board	4	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	HPPWD Rest House & Section	5	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	I&PH Pump House & Section	2	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	Post Office	4	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	Baba Balak Nath Ji Main Temple	4	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	Baba Balak Nath Ji Main Temple Gurunajhari	6	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	BSNL Telephone Exchange	6	1	60	24	1,440	Nil	1,440
	Total	-	-	-	-	35,040	Nil	35,040

	Grand Total (A+B+C)	-	-	-	-	8,23,200	4,29,990	3,93,210
--	--------------------------------------	---	---	---	---	-----------------	-----------------	-----------------

10.9 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹6750/-को सरकारी कोष में जमा न करने बारे :-

नगरपंचायत द्वारा समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश **विवाह पंजीकरण** नियम 2004द्वारा जारी नियम 9 व अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश **विवाह पंजीकरण (संशोधन)** नियम 2016द्वारा जारी नियम 3 अनुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में मद 0235-00-800-03 में अवधि 01.04.2021से 31.03.23 हेतु यथा **(परिशिष्ट-ण)** वर्ष 2021-22 ₹3150/- व 2022-23 हेतु ₹3600/- कुल ₹6750/- को जमा न करने बारे नगर पंचायत के दृष्टिकोण से अंकेक्षण अध्याचना संख्या 153/23 दिनांक 11.09.23 द्वारा वसूली न करने वस्तु स्थिति से अवगत करवाने अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तरमें सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत तलाई एक स्वायत्त संस्था / निकाय है जिसे कोई भी सूचना देने के लिए अपने ही संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, सरकार से किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिलती है, जबकि अन्य विभागों में इन कार्यों के लिए सरकार के शीर्ष से ही धनराशि आहरित होती है और कर्मचारियों का वेतन भी वहीं से प्राप्त होता है। अतः नगर पंचायत द्वारा इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना तर्कसंगत नहीं है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वर्णित नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10.10 सूचना का अधिकार शुल्क ₹100/- को सरकारी कोष में जमा न करने बारे :-

नगर पंचायत तलाई के अंकेक्षण अ वधि 01.04.2021 से 31.03.2023 दौरान अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत यथा **(परिशिष्ट-त)** अनुसार सूचना का अधिकार के नियम-2006 के नियम 5 तथा अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(A)(3)-2/2005-IV-1312-1372 दिनांक 29.04.2023 की अनुपालना में आर.टी.आई शुल्क के क्रमशः वर्ष 2021-22 व 2022-23 में प्राप्त किए गए ₹80 /-व ₹20/-को सरकारी कोष के Head " 0070-60-118-011"(Receipt From Right to Information Act.) में जमा न करवाकर नगर पंचायत द्वारा अपने स्वयं स्त्रोत लेखे में जमा

करवाया गया। इस अंकेक्षण अधियाचना संख्या 152/23 दिनांक 11.09.23 द्वारा सरकारी कोष में वसूल की गई शुल्क की राशि को जमा न करने हेतु वस्तु स्थिति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत तलाई एक स्वायत्त संस्था / निकाय है जिसे कोई भी सूचना देने के लिए अपने ही संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, सरकार से किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिलती है, जबकि अन्य विभागों में इन कार्यों के लिए सरकार के शीर्ष से ही धनराशि आहरित होती है और कर्मचारियों का वेतन भी वहींसे प्राप्त होता है। अतः नगर पंचायत द्वारा इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना तर्कसंगत नहीं है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वर्णित नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10.11 बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-(डी)(1)-9/94 दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उपकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के दौरान बिजली शुल्क की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी, जिस बारे वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159/23 दिनांक 12.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से उपकर की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दी जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वसूली योग्य राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.12 आवकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शराब उपकर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.-एच(सी)(9)-28/96-1 दिनांक 01.12.99 तथा 05.04.2000 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1 प्रति बोतल की दर से शराब उपकर आवकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उपकर भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान शराब उपकरकी कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। जिस बारे वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने अंकेक्षण अध्याचना संख्या 160/23 दिनांक 12.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश आवकारी एवं कराधान विभाग से उपकर की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दी जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वसूली योग्य राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.13 नए भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण पंचायत को राजस्व हानि :-

निम्न तालिका में संकलित सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में कुल चार नवनिर्मित भवनों के मालिकों को बिजली व पानी के कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी किये गये थे, परंतु इन नवनिर्मित भवनों का न तो गृहकर निर्धारित किया गया था और न ही गृहकर की कोई भी वसूली की गई जबकि यह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 के नियम 65 और 67 के अंतर्गत गृहकर लगाना और वसूली करना अपेक्षित था। नगर पंचायतद्वारा गृहकर का निर्धारण न करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा यह नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य से न्यायोचित ठहराने से अवगत करवाने अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/23 दिनांक 13.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत तलाई द्वारा नये भवनों का गृहकर निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त बारे अभिलेख अंकेक्षण के आग्रह पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि भवन निर्माण पूर्ण करने की तिथि से नियमानुसार गृहकर निर्धारित करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	गृहस्वामी का नाम	पता	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की
----------	------------------	-----	-----------------------------------

			दिनांक
1	मनोहर लाल	गाँव - तलाई, बार्ड नंबर-3, तहसील-झँडूता, जिला -बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	31.03.2022
2	परमजीत	गाँव - तलाई, बार्ड नंबर-5, तहसील-झँडूता, जिला -बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	04.01.2022
3	वीपेन्द्र भारद्वाज	गाँव - तलाई, बार्ड नंबर-2, तहसील-झँडूता, जिला -बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	14.11.2021
4	अशोक कुमार	गाँव - मोहाल-तलाई, बार्ड नंबर-2, तहसील- झँडूता, जिला -बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	17.06.2021

10.14 रैन बसेरा में ठहराव प्रभारराशि ₹0.12 लाख की वसूली न करना :-

अंकेक्षण अवधि 4/2021 से 3/2023 के दौरान रैन बसेरा ठहराव रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार यहाँ ठहरने वाले विभिन्न व्यक्तियों / अधिकारियों से ₹200 प्रतिदिन प्रति सैट की दर से नगर पंचायत द्वारा किराया निर्धारित किया गया था, परन्तु रैन बसेरा किराया रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित मेला अवधि दौरान मंदिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई से राशि ₹12,400/- की वसूली शेष थी। किराये की वसूली न करने अंकेक्षण अध्याचना संख्या 163/23 दिनांक 13.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि रैन बसेरा में ठहराव प्रभार के रूप में कम प्राप्त ₹12,400/- की वसूली शीघ्र मंदिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर समूह तलाई से करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्र० सं०	रैन बसेरा में ठहरने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम	ठहराव दिनांक	ठहराव रजिस्टर पृष्ठ संख्या	आरक्षित कमरों की संख्या	वसूली योग्य कुल राशि (₹)
1	अध्यक्ष मंदिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ	14.03.23 से 13.04.23	50	2 सैट 200 प्रति सैट प्रतिदिन की	12400/-

	समूह शाहतलाई			दर से	
--	--------------	--	--	-------	--

10.15 पार्किंग फीस व तहबाजारी नीलामी से संबंधित प्राप्त आय पर ठेकेदारों से राशि ₹ 1.96 लाख आयकर की कटौती व जी.एस.टी. न लगाने :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अ वधि के दौरान नीलाम किये गये पार्किंग स्थल व तहबाजारी से प्राप्त आय का अवलोकन करने पर पाया गया कि पार्किंग फीस व तहबाजारी शुल्क की प्राप्ति नगर पंचायत द्वारा नीलामी की गई । ठेकेदारों से नीलामी द्वारा प्राप्त आय से आयकर की धारा 194- C के अंतर्गत नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई तथा वस्तुकर एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के नियम 9 के अनुसार नगर निकाय पर वस्तु एवं सेवाकर लगाना / वसूल करना लागू होता है अर्थात् नीलामी आय पर जी.एस.टी. की वसूली की जानी वांछित थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा पार्किंग स्थल तथा तहबाजारी की नीलामी की आय पर सम्बन्धित ठेकेदारों से जी.एस.टी. व आयकर की वसूली निम्न विवरणानुसार नहीं की गई जोकि दिनांक 31.03.2023 को ₹1,96,080/- थी । अतः वसूली न किये जाने को नियमानुसार नगर पंचायत के दृष्टिकोण से न्यायोचित ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 169/23 दिनांक 18.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत में कर्मचारियों की कमी होने के कारण पार्किंग फ्रीस एकत्रित करने में कठिनाई होती है, इस कारण पार्किंग को ठेके पर मेलों के दौरान दिया जाता है जिसमें उपभोक्ताओं से निर्धारित फ्रीस के अतिरिक्त अन्य प्रभार / आयकर व जी.एस.टी. को वसूल नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार तह बाजारी पर भी भारत सरकार की स्ट्रीट बेंडर निति- 2014 के मुताबिक रेड्डी / फड्डी वालों से किसी भी प्रकार का कर वसूल नहीं किया जा सकता ।उत्तर संतोषजनक नहीं है, जबकि ठेकेदारों से पार्किंग फ्रीस व तह बाजारी नीलामी से सम्बन्धित प्राप्त आय पर नियमानुसार आयकर व जी.एस.टी. की वसूली की जानी बनती थी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वसूली योग्य राशि की वसूली अविलम्ब की जानी तथा सम्बन्धित विभागों में जमा की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

क्र० सं०	अवधि	ठेके की मद	ठेकेदार का नाम	कुल ठेका राशि	जी.एस. टी. दर	जी.एस. टी. राशि	आयकर दर	आयकर राशि	वसूली हेतु कुल राशि
----------	------	------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------	-----------	---------------------

1	मेला-मार्च 2022	तहबाजारी	श्री पंकज कुमार	2,56,000	18%	46080	1%	2560	48640
2	मेला-मार्च 2022	पार्किंग	श्री राज कुमार	1,65,000	18%	29700	1%	1,650	31350
3	मेला-मार्च 2023	तहबाजारी	श्री सचिन कुमार	3,61,000	18%	64980	1%	3610	68590
4	मेला-मार्च 2023	पार्किंग	श्री राज कुमार	2,50,000	18%	45000	1%	2500	47500
कुल योग									196080

10.16 मंदिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी शाहतलाई मे वर्ष 2023 में होने वाले चैत्र मेला में सफाई व्यवस्था पर नगर पंचायत द्वारा किये गये व्यय की न्यास से 80 प्रतिशत राशि ₹12.84 लाख की वसूली न करने बारे:-

श्री बाबा बालक नाथ जी मेला 2023 दौरान मंदिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी शाहतलाई में चैत्र मेला हेतु दिनांक 03.03.2023 को उपायुक्त बिलासपुर एवं आयुक्त मंदिर न्यास की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही संख्या 6 द्वारा मेले के दौरान सफाई व्यवस्था का सम्पूर्ण जिम्मा नगर पंचायत तलाई को सौंपा गया और सफाई व्यवस्था पर होने वाले व्यय का 80 प्रतिशत मंदिर न्यास द्वारा वहन किया जाना था, के संदर्भ में चैत्र मेला अवधि 14.03.2023 से 13.04.2023 हेतु कुल व्यय राशि ₹16,04,436/- निम्न ब्यौरे अनुसार नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न०प०त०/ मेला / 2023 / 825-827 दिनांक 02.06.2023 द्वारा अध्यक्ष श्री बाबा बालक नाथ जी मंदिर न्यास को भेजी गई। इस संदर्भ में अनुरोध है कि उक्त कार्यवाही / नियमानुसार बनती 80 प्रतिशत राशि ₹12,83,549/-(16,04,436 × 80/100) वसूली को नगर पंचायत लेखा में जमा की पुष्टि अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170/23 दिनांक 18.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत द्वारा चैत्र मेले दौरान वर्ष 2023 हेतु किए गये व्यय की 80 प्रतिशत वसूली बारे मंदिर न्यास से मामला उठाया गया है। अतः ₹12,83,549/- की वसूली मंदिर न्यास से शीघ्र करके नगर पंचायत लेखे में जमा की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Sr. No	Bill Voucher No. and Date	Amount(₹)
1	Payment to Sandeep Kumar Govt. Contractor on account of Sanitation Contract for BBN Ji Fair 2023 Voucher No. 12 dated 26.04.2023.	9,29,985
2	Payment to Sh.Pankaj Kumar Govt. contractor on account of providing Tractor Trolley during BBN Ji Fair 2023 voucher No 15 dated 03-05-2023	64,800
3	Payment to M/S Rikhi Ram Surinder Kumar on account of providing sanitation goods/material used during BBN Ji Fair 2023 voucher No 24 dated 04-05-2023	1,89,860
4	Payment to Sh.Vedansh the service provider on account of sanitation contract for April, 2023 during BBN Ji Fair 2023 voucher No 26 dated 10-05-2023	2,74,891
5	Payment to Sh.Sandeep Kumar Govt. contractor on account of sanitation contract for BBN Ji Fair 2023 voucher No 35 dated 17-05-2023.	71,400
6	Expenditure on Tipper 49x1500/-	73,500
	कुलयोग	₹16,04,436

11 स्थापना :-

11.1 श्री खेम चन्द सचिव के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹ 0.48 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

नगर पंचायत तलाई द्वारा श्री खेम चन्दलिपिक अब सचिव की सेवा पंजिका के अवलोकन दौरान पाया गया कि दिनांक 01.01.2016 से उन्हें वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ जारी करते समय अनियमित रूप से अधिक वेतन निर्धारित किया गया था | जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

- 1) श्री खेम चन्दद्वारा 2.59 के फैक्टर के साथ वेतन संशोधन का विकल्प चुना था |

2) कर्मचारी का काल्पनिक रूप से दिनांक 01.07.2012 से निम्न प्रकार से वेतन निर्धारण किया गया

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक	काल्पनिक रूप से वेतन निर्धारण (₹)
1	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2012	11870+3000=14870
2	द्वितीय ACPS का लाभ	15.07.2012	12320+3200=15520
3	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2013	12790+3200= 15990
4	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2014	13270+3200=16470
5	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2015	13770+3200=16970
	2.59 फैक्टर के आधार पर वेतन निर्धारण		16970×2.59 = 43952 Level 9 Cell 9=45100

उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी ने लिपिक के पद पर दिनांक 15.07.1998 को कार्य ग्रहण किया तदोपरांत दिनांक 15.07.2003 को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न तथा दिनांक 27.08.2009 को प्रथम व 15.07.2012 को द्वितीय सुनिश्चित आजीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत वेतन वृद्धियाँ प्रदान की गई थी । हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या No FIN (PR-B)(7-59/2010) Dated 09.8.2012 read with finance department instructions issued vide letter No FIN(PR)-B-59/2010 dated 07.07.2014 and 09.09.2014 द्वारा वेतन संशोधन से सम्बन्धित जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार only three financial up gradations are admissible to a employee during the entire service. लेकिन श्री खेम चन्द सचिव की सेवापंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि कर्मचारी को वेतन संशोधन के समय दिनांक 15. 07.2017 को तृतीय सुनिश्चित आजीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत वेतन वृद्धि प्रदान करना हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत है क्योंकि कर्मचारी को दिनांक 15. 07.2017 से पहले ही तीन वित्तीय उन्नयन(Financial Upgradation) प्रदान किया जा चुका था । कर्मचारी की पदोन्नति बतौर लिपिक से सचिव, प्रधान सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या UD-B(6)-1/2018-L दिनांक 06.10.2022 द्वारा दी गई तथा कर्मचारी ने पदोन्नति उपरांत दिनांक

14.10.2022 को वतौर सचिव कार्य ग्रहण किया । उक्त दिनांक को वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया तथा उपरोक्त गलत काल्पनिक वेतन गणना के कारण दिनांक 01.01.16 से श्री खेम चन्द के वेतन निर्धारण में निम्न अन्तर पाया गया :-

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक	निर्धारित किया गया वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	वेतन संशोधन	01.01.2016	Level 9 cell 9 = 45100	Level 9 cell 9 = 45100
2	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2016	Level 9 cell 10 = 46500	Level 9 cell 10 = 46500
3	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2017	Level 9 cell 11 = 47900	Level 9 cell 11 = 47900
4	तृतीय ACPS	15.07.2017	Level 10 cell 10 = 49600	Level 9 cell 11 = 47900
5	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2018	Level 10 cell 11 = 51100	Level 9 cell 12 = 49300
6	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2019	Level 10 cell 12 = 52600	Level 9 cell 13 = 50800
7	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2020	Level 10 cell 13 = 54200	Level 9 cell 14 = 52300
8	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2021	Level 10 cell 14 = 55800	Level 9 cell 15 = 53900
9	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2022	Level 10 cell 15 = 57500	Level 9 cell 16 = 55500
10	पदोन्नति पर	14.10.2022	Level 14 cell 9 = 60400	Level 14 cell 8 = 58600

इस अनियमित वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.01.2022 से 31.07.2023 तक श्री खेम चन्द को **सलग्न गणना विवरणी** यथा (**परिशिष्ट-थ**) अनुसार **₹48354/-** का अनियमित व अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में बनता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अवधि 15.07.17 से 31.12.21 के दौरान भविष्य में सम्भावित बकाया राशि की वसूली भी भुगतान के समय सुनिश्चित की जाए। उक्त किये गये अधिक भुगतान को नगर पंचायत के दृष्टिकोण से नियमानुसार न्यायोचित ठहराने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 161/23 दिनांक 12.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अवधि 01.01.2022 से 31.07.2023 तक श्री खेम चन्द के अनियमित वेतन निर्धारण की वसूली **₹48354/-** जी-8 संख्या 89/175 दिनांक 13.09.2023 द्वारा कर ली गई है तथा माह अगस्त 2023 देय सितम्बर 2023 से सही वेतन निर्धारण करके भुगतान किया गया जिसका सत्यापन अंकेक्षण दौरान कर लिया गया।

11.2 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना:-

नगर पंचायत तलाई द्वारा निम्न वर्णित प्रकरणों में हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानों के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 172/23 दिनांक 20.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमानुसार कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं पर वांछित संशोधन बारे कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है, जिसका सत्यापन अंकेक्षण दौरान कर लिया गया।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री खेम राज	Secretary	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
2.	श्री विनोद कुमार	Junior	Annual Increment order not

		Assistant	mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
3.	श्रीमती बिंदु शर्मा	Clerk	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
4.	श्री अनिल कुमार	Clerk	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
5.	श्री अशोक कुमार	Peon	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
6.	श्री अशोक कुमार	Safai Karmchari	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
7.	श्री क्रिशन चन्द	Safai Karmchari	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
8.	श्री हरी दास	Beldaar	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
9.	श्री हंस राज	Beldaar	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
10.	श्री जोगिन्दर सिंह	Beldaar	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23

11.3 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना :-

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश) 1972 के नियम 26(1)(a)(i) के प्रावधान के अनुसार, कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किश्तों में एडवांस क्रेडिट देते हुए पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के सन्दर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः कर्मचारी के अवकाश खाते को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही न करने व अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173/23 दिनांक 20.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तरमें सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमानुसार कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं पर वांछित संशोधन बारे कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है, जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान करवा लिया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उक्त चूक को न दोहराया जाए।

Sr. No	Name of employee	Designation	Period for which earned leave account not completed	Period for which H.P.L. leave account not completed
1	श्रीखेमराज	Secretary	01.01.2023 To 31.03.2023	01.01.2023 To 31.03.2023
2	श्रीअशोककुमार	Peon	01.01.2023 To 31.03.2023	01.01.2023 To 31.03.2023
3	श्रीअशोककुमार	Safai Karmchari	01.01.2022 To 31.03.2023	01.01.2022 To 31.03.2023
4	श्रीक्रिशनचन्द	Safai Karmchari	01.01.2023 To 31.03.2023	01.01.2023 To 31.03.2023

12. अग्रिम :-

सीवरेज कार्य को निक्षेप आधार पर निष्पादित करवाने के लिए अग्रिम राशि ₹100.00 लाख के उपयोगिताप्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :-

सचिव, नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 76/2023 दिनांक 06.06.2023 के संदर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में सीवरेज कार्य को निक्षेप आधार पर करवाने के लिए अग्रिम के रूप में जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश को जारी किए गए ₹1,00,00,000 जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 व्यय :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान

Government e-Marketplace (GeM)

Portal से क्रय न करने बारे :-

नगर पंचायत की अंकेक्षण अवधि 4/2021 से 3/2023 के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)Gem-/2018-eMarket Place (Gem)-26587-648 दिनांक 22.8.2022 के अनुसार "All ULBs in the State are brought on the Government e-Marketplace (GeM) portal at the earliest" की अनुपालना में क्रय किया जाना वांछित था परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए दो क्रय वाउचरों को छोड़कर समस्त क्रय Government e-Market Place (GeM) से न करते हुए खुले बाजार से किया गया। अतः GeM Portal से क्रय न करने तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 174/23 दिनांक 20.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत तलाई द्वारा Government e-Market Place (GeM Portal) से व प्रदेश सरकार के निगमों, बोर्डों व विभागों द्वारा निर्धारित दर संविदा की दरों के आधार पर ही क्रय करना आरम्भ कर दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि क्रय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

14 निर्माण कार्य :-

14.1 निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान करने बारे :-

नगर पंचायत तलाई द्वारा C.P.W.D. कोड 2014 के पैरा 24.1.2. ए के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन में आए कम / अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित करवाये गये निर्माण कार्यों के बिलों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया है कि निम्नतालिका तथा सलग्न (परिशिष्ट -ध) में वर्णित प्रकरणों में कुल कार्य निष्पादित अवार्ड राशि से कम अथवा अधिक राशि के लिए हुआ है, तदपि इनके अन्तिम बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/नियमितिकरण के बिना ही किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है । इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 178/23 दिनांक 22.09.23 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर विचलन को स्वीकृत करवा लिया जाएगा तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा ।

14.2

निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवेहलना तथा सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करना:-

निर्माण कार्यों के बिलों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 12 में निर्माण कार्य निष्पादन से सम्बंधित प्रावधितनियमों की अनुपालना न करने के दृष्टिगत निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थी, जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए :-

- (i) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा टेंडर में भरी गई दरों को बाजारी मूल्य के साथ तार्किकता के आधार पर परखा जाता है (Justification of rates is prepared) परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण अवेहलना करते हुए किसी भी निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व (Justification of rates) तैयार नहीं किए गए थे ।
- (ii) ठेकेदारों द्वारा टेंडर में दी गई दरों के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना शैडयूल की दरों से करते हुए कम अथवा अधिक्य प्रतिशतता को भी नहीं दर्शाया गया था
(Percentage above or below the scheduled rates not being referred in comparative statement of tendered rates)

- (iii) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बंधित अभियंता द्वारा प्रारूप एम० डब्ल्यू०-14 पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना अपेक्षित है, परन्तु नगर पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में करवाए गए निर्माण कार्यों को नगर पंचायत के दृष्टिकोण से न्यायोचित ठहराने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 182/23 दिनांक 27.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वांछित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि सरकार/विभाग द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14.3 निर्माण कार्य बिल में संविदाकार को ₹ 1688/- का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण में निर्माण कार्य बिलों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹ 1688/- का अधिक भुगतान गलत गणनाव विनियम दरें अधिक लगाने के कारण किया गया था, जिसे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति व नगर पंचायत के दृष्टिकोण से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/23 दिनांक 28.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वसूली बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

गणना में चूक के कारण विनियम दरें अधिक लगाने के ₹ 1688/- का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Repair of Janjghar & erection of slan near Ghatti.
ठेकेदार	Sh.Rajesh Kumar Govt.Cont.
ठेका आबंटन पत्र संख्या	NPT/Tender/Awads/Est./2021-22-1290-1296 Dt. 11.11.2021
माप पुस्तिका संख्या	21 पृष्ठ संख्या 95 से 97
वाउचर संख्या व दिनांक	242 दिनांक 11.03.2022
रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	122

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	दर (₹)	भुगतान की गई मात्रा	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक भुगतान मात्रा	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	6	15mm cement plaster etc.	295/- व.मी.	88/- व.मी.	86.1 व.मी.	1.90 व.मी.	560
						कुल योग	560/-

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	भुगतान हेतु मात्रा (₹)	भुगतान हेतु विनियम दर (₹)	भुगतान की गई दर (₹)	अन्तर	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	5	Providing Form work.	22.92/ व.मी.	260/ व.मी.	290/ व.मी.	30/ व.मी.	688
2	6	15mm cement plaster etc.	88/ व.मी.	290/ व.मी.	295/ व.मी.	5/ व.मी.	440
						कुल योग	1128

कुल योग=560 + 1128=₹1688/-

14.4 निर्माण कार्यों का देरी से निष्पादित तथा नियमानुसार निर्धारित दण्ड राशि ₹0.36लाख की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न तालिका तथा सलग्न (परिशिष्ट -न) में वर्णित निर्माण कार्यों का निष्पादित कार्य आबंटन पत्र में निर्धारित समयावधि की अवहेलना करते हुये देरी से पूर्ण किया गया । कार्य निष्पादन हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्त 2 (Clause 2 of the agreement) के अनुसार संविदाकार द्वारा कार्य निष्पादन में देरी करने पर प्राक्कलन राशि के 1% की दर से दण्ड वसूल किया जाना अपेक्षित था, परन्तु इन कार्यों के निष्पादन में न तो संविदाकार को नियमानुसार समय बढौतरी दी गई और न ही निर्धारित **₹35632/-** की दण्ड राशि को वसूल किया गया । इस सन्दर्भ में किये गए व्यय का नगर पंचायत अपने दृष्टिकोण से औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 183/23 दिनांक 28.09.23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प.त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत

क्षेत्र में अधिकतर कार्य भूमि विवादों के कारण मौके पर नहीं हो पाते हैं, लोगों को समझाने में काफी समय लग जाता है जिस कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं, परिस्थितियों के कारण ठेकेदारों पर दण्ड लगाया जाना तर्कसंगत नहीं है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों से पहले सभी तरह की औपचारिकताओं को पूर्ण करना आवश्यक होता है तदोपरान्त ही निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। अतः कार्य निष्पादन में देरी के कारण नियमानुसार दण्ड की वसूली करके इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

2021-22						
Sr.No.	Name of Work	MB No. & Page No.	Delay in Execution	Estimated Cost	Penalty	Time Period
1	C/O CC Flooring for Parking near Rehan Basera W.N.2	MB-21 Page No.82- 83	29 Days	269097.00	2691.00	3 Months
				Total	=2691/-	
2022-23						
Sr.No.	Name of Work	MB No. & Page No.	Delay in Execution	Estimated Cost	Penalty	Time Period
1	C/O Brick Boundary wall in Children Park W.N.2	MB-22 Page No.29- 32	35 Days	252220-00	2522-00	3 Months
2	Special Repair at Rain Basera Building in W.N.3	MB No.22 Page No.8-15	115	96763-00	968-00	3 Months
3	P/L of pavers on the Path from h/o Sh. Ram swaroop Soni towards	MB-22 Page No.38- 41	114 Days	99829-00	998-00	3 Months

	Police Station in W.N.3					
4	R/O Protection wall near Parkash Chand house in ward no.3 Talai	MB-22 Page No.46-47	65 Days	34087-00	341-00	3 Months
5	C/O CC Protection wall for Mahila Mandal in W.n.5	MB-22 Page No.44	61 Days	55758-00	557-00	3 Months
6	C/O CC Flooring for Parking near Rain Basera .2&3	MB-22 Page No.48	29 Days	269097-00	2691-00	3 Months
7	C/O Brick Boundary wall for 41xcavati Park near rain Shelter w.n.6	MB-22 Page No.79-80	82 Days	252220-00	2522-00	3 Months
8	Phase 2 of restoration of road/Path from Dandu Ram house to dugh Khad km 0/0 to 0/1 in w.n.1	MB-22 Page No.86	78 Days	98195-00	982-00	3 Months
9	R/O M/O Path near h/o Sh. Birbal Syal in w.n.7	MB-22 Page No.93-96	111 Days	3631-00	36-00	6 Months
10	P/L PVC Pipe for U/G drainage h/o Smt.Roshani Devi in Sew W.7	MB -22 Page No.97-99	118 Days	12295-00	123-00	6 Months
11	Installation of Pole	MB-22	49 Days	16800-00	168-00	3

	42xcavation P/L cement concrete of grade M15(1:2;4)	Page No.91- 94				Months
12	C/O Road from Mehfil Guest House to Lakhdata chowk in w.n.6	MB-23 Page No.31- 34	27 Days	201434-00	2014-00	3 Months
13	R/O Path near h/o Sh.Dandu Ram towards Ghatti road in w.1	MB -23 Page No.24	155 Days	7647-00	76-00	6 Months
14	R/O Path near Public Toilets (near Gurnajhari)in w.n.4	MB-23 Page No.29	157 Days	17537-00	175-00	6 Months
15	R/O Edging near the fields of Sh.Nand Lal & Brothres in w.3	MB-23 Page No.26- 27	155 Days	7647-00	76-00	6 Months
16	C/O Drain for disposal of wastewater below toilet & bathrooms in gurnajhari w.n.4 talai	MB-24 Page No.4-6	51 Days	331903-00	3319-00	3 Months
17	P/L 6”PVC on both sides for h/o Sh.Ram swaroop house to Ram Bharose shop in W.N.3 Talai	MB-23 Page No.36- 37	54 Days	266622-00	2666-00	3 Months

18	P/L Interlocking Paver blocks 80mm thick near gurnajhari towards w.n.6 Talai	MB-23 Page No.55- 56	54 Days	346918-00	3469-00	3 Months
19	P/L Paver blocks from cowshed of Sh.Yoginder to h/o Sh.Gunja Ram W.nn.6	Mb No.23 Page No.47- 48	75 Days	78107-00	781-00	3 Months
20	P/L Paver blocks from h/o Sh.Swaroop upto Ram Bharose Shop in W.3	Mb 23,Page No.61-62 MB 24, Page No.20	54 Days	422014-00	4220-00	3 Months
21	P/L 6”PVC on both sides of h/o Sh.Swaroop upto Ram Bharose Shop in W.N.3	MB 23 Page No.37- 38	53 Days	266622-00	2666-00	3 Months
22	C/O Path from Dugh Khad towards h/o Sh.Raju,Sarwan & other in Harijan Basti	MB 24 Page No. 24	67 Days	157098-00	1571-00	3 Months
				Total	=32941/-	
					+ 2691/-	
				Grand Total	=35632/-	

14.5

कार्य स्थल पर लाये गये एवं उपयोग की गई निर्माण सामग्री की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.57 लाख की रॉयल्टी को जमा न करना:-

प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या खण्ड –II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.01.2012 तथा हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh of Industries – Geological Wing} द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and storage) Rules,2015 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर तथा संगमरमर आदि पर समय – समय पर निर्धारित दरों के अनुसार रॉयल्टी देय है। अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों की पड़तालके दौरान पाया गया कि विभिन्न कार्य स्थलों पर **निम्न विवरणानुसार तथा सलग्न (परिशिष्ट –द)** अनुसार पत्थर, रेत, बजरी का उपयोग किया गया जिसके सन्दर्भ में रॉयल्टी के रूप में ₹57320 /- की राशि की कटौती तो संविदाकारों से की गई थी, परन्तु उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 187/23 दिनांक 03.10.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र न.प .त/अंकेक्षण/2023-1272 दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त रॉयल्टी ₹57320/- को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया है जिसे शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सरकारी प्राप्तियों को समय पर जमा न करने के कारण यदि खनन विभाग द्वारा कोई दण्ड (Penalty) लगाया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

S.No.	Name of work	MB No. & Pg	Gross Amount	Royalty Amount(₹)
1	C/O CC Flooring for Parking near Rain Basera .2&3	MB-22 Page No.48	47221	472
2	C/O Drain with P/L PVC Pipe for drainage & P/L interlocking cement concrete pavers of 60mm thick from h/o Sh. Ashok Kumar to main drain W No.2	MB-22 Page No.54-55	240204	2402

3	C/O Road & P/L Paver 80mm Thick Pavement towards Shamshan Ghat in W.N.4	MB-22 Page No.67-69	676262	6763
4	C/O Mahila Mandal building at Baryah w.5 Talai	MB-22 Page No.60	172708	1723
5	P/L Cement concrete interlocking paver blocks from CHC to main road	MB-22 Page No.72-73	154849	795
6	C/O Brick Boundary wall for children Park near rain Shelter w.n.6	MB-22 Page No.79-80	219220	12162
7	Phase 2 of restoration of road/Path from Dandu Ram house to dugh Khad km 0/0 to 0/1 in w.n.1	MB-22 Page No.86	111555	324
8	R/O M/O Path near h/o Sh. Birbal Syal in w.n.7	MB-22 Page No.93-96	5194	233
9	P/L PVC Pipe for U/G drainage h/o Smt.Roshani Devi in Sew W.7	MB -22 Page No.97-99	14740	159
10	C/O R/Wall P/Wall besides the shop of Smt. Chanchlo Devi W/O Lt.Sh.Nand Lal Ward No.4 Talai	MB-22 Page No.87-91	36212	1732
11	Installation of Pole exavation P/L cement concrete of grade M15(1:2;4)	MB-22 Page No.91-94	16800	413
12	Balance work of Mahila Mandal building in W.N.5	MB-23 page No.4-6	74950	1098
13	C/O Road from Mehfil Guest House to Lakhdatta chowk in	MB-23 Page No.31-34	149700	1278

	w.n.6			
14	P/L Paver blocks from main road to h/o Sh. Hansraj towards w.n.5	MB-23 Page No.19-21	146165	1051
15	P/L Pavers blocks from main road (near h/o Sh. Dharampal)towards h/o Sh.Birbal Syal in w.n.6	MB-23 Page No.39-40	65043	434
16	C/O Drain (U-Shape)from h/o Sh. Bhagat Ram S/O sh. Ram,a Ram to Parking in W.N.6	MB-23 Page No.14-15	196471	3493
17	R/O Path near h/o Sh.Dandu Ram towards Ghatti road in w.1	MB -23 Page No.24	5695	155
18	R/O Path nera Public Toilets (near Gurnajhari)in w.n.4	MB-23 Page No.29	19079	1311
19	R/O Edging near the fields of Sh.Nand Lal & Brothres in w.3	MB-23 Page No.26-27	6564	216
20	C/O Brick Boundary wall for children park near rain Shelter in w.6	MB-23 Page No.43-44	36874	885
21	M/O & R/O Kitchen in Rain Basera Premises in W3 & 4 Talai	MB-23 Page No.49-53	73538	701
22	C/O Mahila Mandal Building at Baryah W.No.5 Talai	MB-23 Page No.07-10	47185	5299
23	C/O Drain for disposal of wastewater below toilet&bathrooms in gurnajhari w.n.4 talai	MB-24 Page No.4-6	161272	974
24	P/L 6"PVC on both sides for	MB-23	204967	3861

	h/o Sh.Ram swaroop house to Ram Bharose shop in W.N.3 Talai	Page No.36-37		
25	P/L Interlocking Paver blocks 80mm thick near gurnajhari towards w.n.6 Talai	MB-23 Page No.55-56	264500	6018
26	P/L Paver blocks from cowshed of Sh.Yoginder to h/o Sh.Gunja Ram W.nn.6	MB-23 Pg 45-46	44504	443
27	P/L Paver blocks from h/o Sh.Swaroop upto Ram Bharose Shop in W.3	MB 23 Pg 59- 61	363096	385
28	P/L Paver blocks from Sarain towards h/o Sh. Shashi Pal Sharma in W.N.5	MB 24 Pg 1-2	80093	507
29	C/O Path from Dugh Khad towards h/o Sh.Raju,Sarwan & other in Harijan Basti.	MB 24 Pg 22- 23	113519	2033
	Total		3748180	57320/-

15अन्य :-

(i) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था , जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 हेतु कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान रजिस्टर को तैयार एवं अद्यतन (Update) करने के उपरांत सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति क्रमशः ₹ 21692891/-, ₹ 23343877/- व व्यय

₹18337366/-, ₹ 34203253/-दर्शाया गया है, परन्तु वर्णित आय व व्यय की मदवार खाता बहियों को तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण में यह पुष्टि सम्भव न हो सकी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई थी क्या वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया था, वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने के उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएँ।

(iii) बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :-

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना :-

अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में नियमानुसार स्टॉक में पड़े सामान के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु इसके बावजूद भी नगर पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही न करना गम्भीर चिंता का विषय है। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब स्टॉक / स्टोर की प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(रविन्द्र कंवर)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला—171009.

फोन नं0 0177—26020881

पृष्ठांकन संख्या:फिन(एल0ए0) एच (2)सी—15(V)75/84-खण्ड—3—9251—9252

दिनांक: शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- पंजीकृत :** 2 सचिव, नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/-

(रविन्द्र कंवर)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009.

फोन नं0 0177-26020881

पैरा संख्या 1 (घ) में वर्णित परिशिष्ट "क"

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित अनुपालना के सत्यापन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/93

1	पैरा - 6	निर्णीत	₹9792/-वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
---	----------	---------	---

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन फरवरी 95 से मार्च 1997 (विशेष रिपोर्ट)

1	पैरा - 8	अनिर्णीत	
---	----------	----------	--

(ग) उप नियंत्रक (अंकेक्षण)का दिनांक 27.10.95 से 28.10.95 का निरीक्षण प्रतिवेदन

1	पैरा – 8	अनिर्णीत	
---	----------	----------	--

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93से 3/96

1	पैरा – 8	अनिर्णीत	
---	----------	----------	--

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/2005

1	पैरा – 6(2)	अनिर्णीत	
2	पैरा – 6(5)	अनिर्णीत	
3	पैरा – 8(ब)	निर्णीत	₹5846/-वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
4	पैरा – 8(श)	निर्णीत	₹704/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
5	पैरा – 9 (ख)	निर्णीत	₹4816/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
6	पैरा – 9 (ण)	अनिर्णीत	
7	पैरा – 9 (ध)(2)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा – 4(3)	अनिर्णीत	
2	पैरा – 4(4)	अनिर्णीत	

(छ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013

1	पैरा – 10(क)	अनिर्णीत	
2	पैरा – 10(ख)	अनिर्णीत	

3	पैरा – 15 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा – 15 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा – 17 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा – 17(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा – 17(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा – 21	निर्णीत	₹1480/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा – 5 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा – 8	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा – 7	अनिर्णीत	
2	पैरा – 9	अनिर्णीत	
3	पैरा – 12	निर्णीत	₹278142/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
4	पैरा – 13	निर्णीत	₹52959/-₹58181/-₹47835/-व ₹47835/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2017 से 3/2019

1	पैरा – 13	अनिर्णीत	
2	पैरा – 19	अनिर्णीत	
3	पैरा – 22	अनिर्णीत	
4	पैरा – 24	अनिर्णीत	
5	पैरा – 26	अनिर्णीत	

6	पैरा – 27	अनिर्णीत	
---	-----------	----------	--

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2019 से 3/2021

1	पैरा –3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹43,000/-को मल्टीसिटी चैक संख्या 106610 दिनांक 26.02.2022 द्वारा निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई।
2	पैरा –4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
3	पैरा –5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
4	पैरा –6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
5	पैरा –7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
6	पैरा –8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
7	पैरा – 9 (क) (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा – 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
9	पैरा – 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
10	पैरा – 12	अनिर्णीत	
11	पैरा – 13	अनिर्णीत	
12	पैरा – 14	अनिर्णीत	
13	पैरा –15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान

			अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.1 में पुनः प्रारूपित
14	पैरा -16	अनिर्णीत	
15	पैरा -17 (क) व (ख)	निर्णीत	मूल अभिलेख की सत्यापना तथा सटिप्पण उत्तरानुसार
16	पैरा -18	अनिर्णीत	
17	पैरा -19	निर्णीत	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.4 में पुनः प्रारूपित
18	पैरा -20	निर्णीत	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.8 में पुनः प्रारूपित
19	पैरा -21	अनिर्णीत	
20	पैरा -22	निर्णीत	₹12400/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
21	पैरा -23	निर्णीत	₹14633/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
22	पैरा -24	अनिर्णीत	
23	पैरा -25	अनिर्णीत	
24	पैरा -26	अनिर्णीत	
25	पैरा -27	अनिर्णीत	
26	पैरा -28	निर्णीत	सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
27	पैरा -29	अनिर्णीत	
28	पैरा -30	निर्णीत	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान

			अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 16 में पुनः प्रारूपित
--	--	--	--

दिनांक 31.3.21 तक अनिर्णीत पैरे	61
वर्तमान अंकेक्षण अवधि में लगाए गए पैरे	14
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	23
अन्तशेष	52